

बिहार की राजनीति में अपराधीकरण और जातिवाद

डॉ० गौतम कुमार,

अतिथि शिक्षक,

राजनीति विज्ञान विभाग,

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर(बिहार)–848504

पता– शरण भवन, प्रोफेसर कॉलोनी गली नं०-01, ताजपुर रोड, समस्तीपुर(बिहार)–848101.

भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन और उसके परिणामस्वरूप हुए समाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण मुगलकालीन भारतीय समाज का आंतरिक संतुलन बिखरने लगा और प्रचलित जाति व्यवस्था में भी सुगबुगाहट शुरू हुई। बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आज भी है। इसे कतई अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। सैकड़ों वर्षों से जिस समाज का ताना-बाना जाति के इर्द-गिर्द बुना गया हो, जहाँ जाति सामाजिक संगठन का आधार रही हो, वहाँ राजनीति जाति के प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती है। औपनिवेशिक काल में बिहार में जातीय स्थिति मोटे तौर पर इस प्रकार थी – अंग्रेजी की अधीनता में नौकरशाही पर मुख्य रूप से बंगाली, कायस्थों और मुसलमानों का अभिजात तबका काबिज था। जमीन्दारी मुख्यतः भूमिहारों, राजपूतों, ब्राह्मणों और कायस्थों के हाथों में थी। इनका एक अच्छा खासा हिस्सा दखलकारी रैयत भी था। मध्यवर्ती और दलित जातियों की आबादी मुख्यतः बटाईदार और कारीगर थी। शेष दलित, अछूत और बंधुआ मजदूर थे।

प्रारम्भ में मोटे तौर पर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम चल रहा था। समस्या तब प्रारम्भ हुई जब देश राजतंत्र, सामंतशाही से लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। बिहार में भी जातीय अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जनता पर राज करती आ रही थी। परन्तु लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल के आधार पर जातीय अल्पसंख्यक को खतरा महसूस होने लगा। इसलिए इन लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपराध, भय और हिंसा का सहारा लेने लगे। शोषित जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता के कारण अपने वोट से अपना जातीय नेता चुनने लगे। इसी जातीय वर्चस्व की लड़ाई ने अपराधीकरण को बढ़ावा दिया, जो कमोवेश आज तक चली आ रही है।

वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और खासकर छूआछूत के प्रखर आलोचक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म के जाति प्रथा के दूष्परिणामों को संसार के सामने प्रमाणित किया। 1. यूरोपीय विद्वानों की अवधारणा भारतीय जातिप्रथा की अवधारणा से मेल नहीं खाती। 2. भारतीय जातिप्रथा नस्ली समस्या से उत्पन्न नहीं है। 3. यह व्यवसायों के वर्गीकरण से भी उत्पन्न नहीं हुई। 4. यह ईश्वरकृत या नैसर्गिक भी नहीं अन्यथा संसार ने सभी समाजों में पाई जाती। 5. ब्राह्मणों की देन है। 6. अंतजातीय विवाह इसकी गतिहीनता का एक कारण है। 7. वर्ण और जाति में अन्तर है। 8. अंतजातीय विवाह का निषेध ही गति संकुचन एवं अलगाव का कारण है। 9. जातिप्रथा समाज विरोधी एवं विध्वंसक है। 10. जाति तोड़ने के लिए महिलाओं को दोषी ठहराया गया, तभी सतीप्रथा एवं विधवा विवाह—निषेध कानून लागू हो गये।¹

भारतीय जनमानस को चाहिए कि वह उस पक्ष में अपनी उर्जा एवं धन—सम्पत्ति को लगाए जिससे जातिवादी संस्थाओं को नष्ट कर नए राष्ट्र का निर्माण हो सके एवं नवीन उत्साह से समाज का पुर्ननिर्माण कर देश को बिना साम्प्रदायिक दुर्भावना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते रहें।

“पौधों में, कीड़ों में, चार पैर वालों में, सांपों में, मछलियों में और पक्षियों में अलग—अलग योनि की पहचान कराने वाले बहुतेरे चिन्ह हैं लेकिन आदमियों में यह बात नहीं। न तो बाल, न झोपड़ी की बनावट, न चमड़ी का रंग, न मुँह और न शरीर का दूसरा अंग ही एक आदमी से दूसरे आदमी को पृथक करने वाले किसी ऐसे चिन्ह विशेष का प्रदर्शन करते हैं। जन्म और वंशागुणत परम्परा के हिसाब से सभी मानक एक ही है।”²

मुगल काल से ही बिहार तथा उससे पहले से भी बिहार में कई रियासते जातियों के हाथों में कायम थी। 1558 ई0 में पंडित महेश ठाकुर को सम्राट डुमराव राज राजपूतों द्वारा कायम हुआ। अन्य रियासतों के अलावा शिवहर(मुजफ्फरपुर), सूर्यपूरा(शाहाबाद), अमावां(पटना) बनौनी(पूर्णिया), बरारी(भागलपुर), चम्पारण जिले में रामनगर, डमरिया, शिकारपुर और मधुबन, दरभंगा में सिंहवाड़ा, शुम्भाड्योड़ी, केवटा और खरारी। खरसावाँ और सरायकेला देशी रियासत भी था। ये सभी राजा उच्च जाति के थे और अंग्रेजों के आने के बाद उसके वफादार बन रहे और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पूर्व की तरह विद्यमान रही।³

बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किए जाने के बाद बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल का गठन हुआ। इसे लेफ्टिनेन्ट गर्वनर का कौंसिल कहा जाता था। कौंसिल के 43 सदस्यों में अधिसंख्य राजा, महाराजा और जमींदार थे। कांग्रेस के पच्चीसवें अधिवेशन में बिहार से जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 39 थी। उन सदस्यों में भी अधिकांश हिन्दूद्विज थे – 11 कायस्थ, 5 ब्राह्मण, 3 राजपूत, 3 खत्री, 4 यादव, 2 बंगाली, 1 बनिया और 5 मुसलमान। अधिवेशन में जो 4 यादव चुने गये थे वे मधेपुरा के जमींदार परिवार से आते थे। बिहार के मुख्य सचिव ने 1917 में भारत सरकार को लिखा – लेजिस्लेटिव कौंसिल के हिन्दु सदस्यों में द्विज का प्रभुत्व है। इनमें अधिकांश वकील हैं। वास्तव में वे वकील नहीं जमींदार हैं। दूसरे शब्दों में वे आबादी छोटे और खास समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।⁴

कौंसिल में चुने गये सदस्य बिहारी समाज के एक या दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। राज्य की बहुसंख्यक जनता और आबादी के साथ उनकी वास्तविक सहानुभूति नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य अपने को संगठित करना और अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करना था, जिससे वे आते थे।⁵

सीमित मताधिकार के आधार पर राज्य के कांसिल के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 374812 थी। जो कुल पुरुष आबादी का मात्र सवा दो प्रतिशत और वयस्क पुरुष आबादी का साढे चार प्रतिशत थी। उस वक्त(1912–26) महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। उच्च लगान वाले जिलों में 64 रूपये, निम्न लगान वाले जिलों में 16 रूपये, लगान देने वाले रैयतों को वोट देने का अधिकार मिला। मोटा-मोटी 15 एकड़ औसत जमीन रखने वाले रैयत निर्वाचक बने।⁶

कौंसिल के पहले चुनाव में उत्तरी चंपारण से एक दलित – रामलाल चमार के चुनाव लड़ने का रिकार्ड मिलता है। इस चुनाव में इस दलित प्रत्याशी ने चुनाव में 11 रूपया चार आना खर्च किया था और हार गया था। इस तरह गाँधी की कर्मभूमि चम्पारण और बिहार में पहली बार एक दलित चुनाव मैदान में उतरा था। चुनाव में जाति का बोलवाला था। पहले चुनाव में बाभन, बाभन स वोट देने की अपील करते और राजपूत, राजपूत से, वकील अपने मुक्किलों से और जमींदार अपने रैयतों से। चुनाव में पिछड़ी जाति के मतदाताओं को यह भी झूठा आश्वासन दिया जा रहा था कि अगर उन्हें वोट देंगे, तो उनको उँची जाति में शामिल करा लिया जायेगा।

जमींदार नेता रैयतों को झूठा आश्वासन दे रहे थे साथ ही साथ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिकता के आधार पर वोट माँगे जा रहे थे।⁷

चुनावों में जाति का असर कैसा था? बकौल सहजानंद – “1926 के कौंसिल के चुनाव में कांग्रेसी नेताओं का जातिवाद उभर कर सामने आ गया। बिहार के उस चुनाव में जो अनर्थ हुए वे कभी भूलने के नहीं हैं। कांग्रेस में गुटबंदी थी और प्रमुख लोग भीतर ही भीतर जात-पात की बात करते थे। खुलकर सामने नहीं आ सकते थे। उक्त चुनाव ही नहीं, उसके बाद आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सबों के बारे में कह सकता हूँ – गुस्ताखी माफ हो कि— अधिकांश बिहारी राष्ट्रवादी नेता जातिवादी हैं।”⁸

तीस का दशक बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा – खासकर दलितों और पिछड़ों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शिक्षा-दीक्षा के प्रति सर्वथा नयी चेतना पनपने के लिहाज से। 1931 में सोशलिस्ट पार्टी बनी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ बिहार में 1932 में अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ। 1933-34 में गाँधी के “हरिजन” दौर के कार्यक्रम ने दलित और पिछड़ी जातियों में नये राजनीतिक सशक्तीकरण के बीज बोये। पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीधे आरक्षण की घोषणा की गई। बिहार में मंदिर प्रवेश आन्दोलन शुरू हुआ। गाँधीजी के दौरे का देवघर और बक्सर के पंडों ने हिन्दू धर्म के नाशक के नाम पर विरोध किया। 30 मई, 1933 को करगहर में पिछड़ों के पहले संगठन त्रिवेणी संघ का गठन हुआ। शोषित वर्ग जैसे संगठन अस्तित्व में आये। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। जमींदारों की यूनाइटेड पार्टी का गठन इसी दौर में हुआ। 1937 में खेत मजदूर संगठन बना। इसके पहले जगजीवन राम की डिप्रेस्ड क्लास ने लीग का गठन कर लिया था। 1938 में आदिवासी महासभा बनी। ये सभी राजनीतिक संगठन थे। वा जातीय पहचान को संगठित कर अपनी श्रेष्ठता कायम करने में उलझी द्विज नीति अब ब्रिटीश हूकूमत के तहत सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को पुख्ता करने की राजनीति में तब्दील होने लगी और बिहार की राजनीति नई करवट लेने के लिए सुगबुगाने लगी।⁹

आखिर हिंसा-प्रतिहिंसा, जातिगत द्वेष और राजनीति के अपराधीकरण की आग में झुलसते बिहार का सच क्या है? जातीय उन्माद और जातिगत खेमेबाजी के आधार पर नेताओं को जाति विशेष के झंडे के तौर पर उठाने का सिलसिला कैसे कायम हुआ है? बिहार के मौजूदा परिदृश्य को आधार देने वाली परिस्थितियाँ ऐकाएक नहीं बनी है। सन् 47 के बाद से ही

गलतियों की शुरुआत हो गई थी। ब्रिटीश हुकूमत ने जिस देशी राजे-राजवाडों, धन्नासेठों और भू-स्वामी को अपने सामाजिक आधार के रूप में इस्तेमाल किया, आजादी के बाद शासन की बागडोर उन्हीं को मिली।¹⁰

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ और 1951-52 में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी होने के कारण दो तिहाई बहुमत से नेहरू जी के नेतृत्व में चुनाव जीती। इस चुनाव में जाति, हिंसा, अपराध का बोलबाला रहा परन्तु पंडित नेहरू के करिश्माई नेतृत्व के कारण एवं बिहार में श्री कृष्ण सिंह के कद्दावर छवि के कारण यह पूर्णतया मुखरित नहीं हुआ।

“आजादी के बाद कुछ वर्ष सहज दिखे थे लेकिन सन् 1960 आते-आते उस सहजता की असलियत भी सामने आने लगी। राजनीति में जातीय गिरोहबंदी आकार लेने लगी। चूँकि उस उक्त राजनीति में कुछ खास वर्गों और श्रेणियों के ही लोग जाते थे इसलिए अंतविरोधियों का जटिल स्वरूप उतना साफ-साफ नहीं दिखाई पड़ता था। आज सत्ता राजनीति का मुहावरा ही नहीं, उसकी देहदृष्टि भी बदल गई है, इसलिए जातीय-गिरोहबंदी और अपराधीकरण का विकराल दृश्य हमारे सामने हैं। सातवें दशक से बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और टकराव के अनेक द्वार खुल गये। हिंसा का ग्राफ बढ़ा और देश के अन्य हिस्सों में बिहार की छवि एक लहुलुहान सूबे की बन गई।¹¹

बिहार में समय-समय पर बनी निजी जातीय सेनाओं को सत्ता-राजनीति के किसी न किसी प्रमुख खेमे का समर्थन और संरक्षण प्राप्त होता रहा है। बिहार के राजनीति के अपराधीकरण एवं जातीय प्रभुत्व एवं वर्चस्व के कारण प्रमुख हत्याकांड निम्न हैं –

क्रम सं०	वर्ष	स्थान	मारे गये की संख्या	अन्य विवरण
01.	22 नवम्बर, 1971	रूपसपुर चंदवा	14	भूस्वामियों ने आदिवासी-बटाईदार और खेत मजदूरों की हत्या की।
02.	27 मई, 1971	बेलछी(पटना)	11	कुर्मी भूस्वामियों ने दलितों की हत्या की।
03.	6 फरवरी, 1980	पारसबिधा	11	भूमिहार भूस्वामियों ने दलितों की हत्या की।
04.	25 फरवरी, 1980	पिपरा(पटना)	14	कुर्मी भूस्वामियों ने दलितों की हत्या की।
05.	01 जून, 1982	मैनीविधा	6	भूस्वामियों ने दलितों को मारा।



		(औरंगाबाद)		
06.	19 अप्रैल 1985	बांझी साहेबगंज	15	सूदखोर महाजनों की शह पर पुलिस ने आदिवासियों को भून डाला(मृतकों में एक पूर्व आदिवासी सांसद भी)
07.	मई 1985	कैथी बिगहा (औरंगाबाद)	12	भूस्वामी, पुलिस संयुक्त मुहिम में माले समर्थक की हत्या।
08.	14 नवम्बर, 1985	भोजपुर	5	पुलिस ने माले के पाँच समर्थकों की हत्या की।
09.	19 अप्रैल, 1986	अरवल(जहानाबाद)	23	आमसभा कर रहे M.K.M.S के समर्थकों (दलितों) पर पुलिस ने गोली चलाई।
10.	8 जुलाई, 1986	कंसारा(जहानाबाद)	11	अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों की भूस्वामियों ने हत्या की।
11.	7 अक्टूबर, 1986	दरिमियों(औरंगाबाद)	11	M.C.C द्वारा राजपूतों की हत्या।
12.	14 अक्टूबर, 1986	भभुआ(औरंगाबाद)	07	M.C.C द्वारा राजपूतों की हत्या।
13.	09 नवम्बर, 1986	मैरवा	08	M.C.C द्वारा राजपूतों की हत्या।
14.	13 दिसम्बर, 1986	करगहर(रोहतास)	09	M.C.C द्वारा राजपूतों की हत्या।
15.	09 जनवरी, 1986	सखांवहार	08	M.C.C द्वारा राजपूतों की हत्या।
16.	19 अप्रैल, 1987	छेछानी(औरंगाबाद)	06	भूस्वामी ने गरीब यादव किसानों की हत्या की।
17.	29 मई, 1987	दललेचक(औरंगाबाद)	42	M.C.C द्वारा राजपूतों की हत्या।
18.	16 जून, 1988	नोनही-नगवाँ (जहानाबाद)	19	भूस्वामी अपराधिक गिरोह ने गरीब खेत मजदूरों को मारा।
19.	11 अगस्त, 1988	दमुहॉ-खगड़ी (जहानाबाद)	11	मुसहर खेत मजदूरों को यादव जाति के अपराधिक गिरोह ने मारा।
20.	24 नवम्बर, 1989	दनवार बिहटा (भोजपुर)	17	ज्वाला सिंह भूस्वामी गिरोह ने माले समर्थक की हत्या की।
21.	19 फरवरी, 1991	तिसखोरा(पटना)	15	भूस्वामी गिरोह ने दलितों की हत्या की।
22.	4 जून, 1991	मलवरिया(पलामू)	10	सनलाइट सेना के भूस्वामी ने दलितों को मारा।
23.	22 जून, 1991	देवसहियारा(भोजपुर)	15	माले समर्थक की भूस्वामी ने हत्या की।
24.	23 दिसम्बर, 1991	करकटविघा(पटना)	7	भूस्वामी ने दलित की हत्या की।
25.	23 दिसम्बर, 1991	मेनवरसिम्हा(गया)	10	भूस्वामियों ने दलितों की हत्या की।
26.	12 फरवरी, 1992	बारा (गया)	32	M.C.C ने भूमिहार भूस्वामी एवं किसानों की हत्या।
27.	4 अप्रैल, 1992	किता (पलामू)	08	पार्टी यूनिटी ने सवर्ण जाति के धनी

				किसानों को मारा।
28.	22 दिसम्बर, 1993	जीरादेई (सिवान)	04	शहाबुद्दीन गिरोह ने माले समर्थकों को मारा।
29.	06 जुलाई, 1995	बभनौली (सिवान)	07	शहाबुद्दीन गिरोह ने माले समर्थकों को मारा।
30.	26-27 अप्रैल, 1986	बथानी टोला	21	भूस्वामियों ने माले समर्थकों की हत्या की।
31.	23 मार्च, 1997	हैबसपुर (पटना)	10	रणवीर सेना ने दलितों की हत्या की।
32.	01 दिसम्बर, 1997	लक्ष्मणपुर बाथे (जहानाबाद)	63	भूस्वामियों की रणवीर सेना ने खेत मजदूरों और गरीब किसानों को मारा।

12

निष्कर्ष – अतः जातीय अपराधिक वर्चस्व बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा हत्याकाण्ड संभव नहीं है। इस सभी अपराधिक घटनाओं में जातीय नेता इनका बचाव एवं संरक्षण देते रहते हैं। 21 वीं सदी में विकास पर ध्यान दिये जाने के कारण असमानता में थोड़ी कमी आई है परन्तु स्वरूप बदल गया है। जातिवाद एवं अपराधवाद आज की बिहार की राजनीति में आज भी कायम है। कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं है। सभी दल चुनावों में अपराधिक वर्चस्व एवं जातीय बहुलता वाले दबंग प्रत्याशी को ही चुनाव में टिकट देते हैं। 2001 ई0 से पुनः त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव शुरू होने से छोटे-छोटे क्षेत्र पर पंचायती राज में मुखिया, प्रमुख, जिलापरिषद् सदस्य एवं उसका चेयरमैन के पद पर अपनी दबंगता से काबिज हो जाते हैं और ठीकेदार बनकर अपराधी, ठीकेदारी, प्रशासन, इंजीनियर सब का गठजोड़ बनाकर सरकारी राशि का बंदरबॉट कर लेते हैं। इससे व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। जो पहले आम जनता को लूटते थे वे अब नौकरशाही से मिलकर एवं दबावपूर्वक सरकारी धन को लूटने का कार्य करते हैं। अब समय आ गया है कि जातिवाद के बंधन को तोड़ा जाय। यह तभी संभव है जब सभी वर्गों में शिक्षा का विकास होगा, जिससे लोगों में रोजगार पाकर आर्थिक विकास होगा। तभी समाज में समानता स्थापित होगी, जिससे बिहार को अपराधी एवं जातीयता रूपी अभिशाप से मुक्ति मिलेगी।



संदर्भ सूची :-

1. डॉ० बी.आर.अम्बेडकर, भारत में जातियों(उनकी संरचना, उत्पत्ति और विस्तार) अनुवादक शीलप्रिय बौद्ध, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 3-5.
2. पी.लक्ष्मी नरसू, बुद्ध धम्म का सार, पृष्ठ-114
3. प्रसन्न कुमार चौधरी/श्रीकान्त, बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 14-15.
4. श्रीकान्त, बिहार में चुनाव : जाति, हिंसा और बूथ लूट, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ-12.
5. वही, पृष्ठ-13.
6. वही, पृष्ठ-14.
7. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पेज-298.
8. स्वामी सहजानंद सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पेज-307.
9. श्रीकांत, बिहार में चुनाव : अगड़ा बनाम अगड़ा में पिछड़ों की सुगबुगाहट, पृष्ठ 19-20.
10. उमिलेश, बिहार का सच, राजनीति पर हावी होता गिरोहवाद, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृष्ठ 183-184.
11. वही, बिहार का सच, परिशिष्ट-3, पेज 202-204.
12. वही